भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2810

17 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीजीएचएस के तहत पंजीकृत लाभार्थी और सूचीबद्ध अस्पताल

2810. # श्रीमती धर्मशीला गुप्ता

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देशभर में तथा विशेष रूप से बिहार राज्य में केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों एवं सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार के संज्ञान में यह आया है कि देश के विभिन्न राज्यों की तुलना में बिहार में सीजीएचएस के तहत नकद रहित उपचार की उपलब्धता सीमित है, यदि हाँ, तो इसे सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सीजीएचएस पैकेज दरों में संशोधन के बाद देशभर एवं बिहार राज्य में लाभार्थियों को अस्पतालों में अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ रहा है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): देश भर में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की कुल संख्या 43,67,202 है। देश भर में सीजीएचएस के अंतर्गत पैनलबद्ध स्वास्थ्य सेवा संगठनों (एचसीओ) की कुल संख्या 2,824 है। इस योजना के तहत बिहार में क्रमशः 62,053 लाभार्थी और 66 पैनलबद्ध स्वास्थ्य सेवा संगठन (एचसीओ) हैं।

केंद्रीय सरकार पेंशनभोगी और अन्य पात्र लाभार्थी के साथ-साथ उनके आश्रित, जिनके पास सीजीएचएस कार्ड है, सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पतालों और निदान केंद्रों में नकदरहित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

सीजीएचएस पैकेज दरों में संशोधन के बाद, पैनलबद्ध अस्पताल दिनांक 03.10.2025 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 5-16/सीजीएचएस(मुख्यालय)/एचईसी/2024(भाग-1) के माध्यम से जारी सीजीएचएस की अद्यतित दर सूची में निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क लेते हैं। लाभार्थियों को किसी भी सीजीएचएस पैनलबद्ध सुविधाकेंद्र में निर्धारित दर से अधिक कोई अतिरिक्त भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
